आप.प्र./सीआईएस. क्र. 321/2022

शासन विरुद्ध दिलीप कुमार लहरे वगै.

समय 12.15 बजे

Witness No. **01** For **अभियोजन साक्षी** Deposition taken the **31/01/2023** day of मंगल**वार** Witness' apparent age 22 States on Oath........my name is **दयानंद बंजारा S/o धनपति बंजारा** occupation **मजदूरी** address **ग्राम देवरी, थाना भूपदेवपुर, जिला रायगढ़ (छ०ग०)**

टीपः अभियोजन की अनुपस्थिति में धारा 165 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय द्वारा प्रश्नः

01/ मैं न्यायालय उपस्थित आरोपीगण को जानता हूं । वे लोग मेरे गांव से है ।

02/ मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है । मेरे सामने कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई है । जप्ती पत्रक प्रपी 1 एवं 2 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । मेरे समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किये थे । गिरफ्तारी पत्रक प्रपी 3, 4 एवं 5 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । मुझे पुलिसवाले कोई गिरफ्तारी सूचना नहीं दिये थे । गिरफ्तारी की सूचना प्रपी 6 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है

03/ मेरे समक्ष घटना का नजरी नक्शा तैयार किया गया है जो प्रपी 7 है जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है । मेरे समक्ष पुलिसवाले आरोपी से कोई मेमोरेण्डम कथन नहीं लिये थे । मेमोरेणडम कथन प्रपी 9, 10, 11 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । पुलिसवाले मेरा कोई बयान नहीं लिया था ।

04/ साक्षी को उसका पुलिस बयान प्रपी 8 के अ से अ भाग "मैं उपरोक्त पते .... देखे है" पढ़कर सुनाये जाने से उक्त बयान देने से इन्कार किया ।

आप.प्र./सीआईएस. क्र. 321/2022

शासन विरुद्ध दिलीप कुमार लहरे वगै.

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री आर०डी० बघेल अधिवक्ता वास्ते आरोपीगण

05/ यह कहना सही है कि मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है । यह कहना सही है कि मेरे समक्ष पुलिसवाले आरोपीगण से कोई सामान जप्त नहीं किये थे और न ही मेरे समक्ष कोई मेमोरेण्डम की कार्यवाही हुई है । पुलिसवाले मुझे प्रपी 1 से 11 तक के कोरे कागजों पर हस्ताक्षर ले लिये थे ।

वाचित, सत्य स्वीकृत	**मेरे निर्देशानुसार टंकित**
सही/–	**सही/–**
(दीप्ति बरवा)	**(दीप्ति बरवा)**
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी**
खरसिया, रायगढ (छ०ग०)	**खरसिया, रायगढ (छ०ग०)**

गवाह का हस्ताक्षर